(124)

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : .....

श्रीमती चिंतामणि अग्रवाल, वयस्क
पत्नी श्री चन्द्रमोहन अग्रवाल,
कृषक ग्राम निपानिया जाट, तहसील हुजूर
निवासी – भोपाल ..... प्रार्थी

विरूद्ध

राजीव सिंह, वयस्क आ0 चन्द्रचूड़ सिंह,
निवासी – 1131, हाऊसिंग बोर्ड,
बैरसिया रोड, भोपाल ..... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 10.11.2016, जो प्रकरण क्र. 04/अ–12/2016–17 में श्रीमान् राजस्व निरीक्षक महोदय, वृत्त–1, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रतिप्रार्थी ने ग्राम रायपुर स्थित भूमि खसरा क्र. 104/2–105, 106/2 कुल किता 02, कुल रकबा 0.547 हेक्टेयर भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

02. यह कि, उक्त सीमांकन में विधिवत् कार्यवाही किये बगैर प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया कि भूमि खसरा क्र. 104, 105/2 रकबा 0.440 हेक्टेयर के अंश भाग रकबा 0.084 एवं खसरा क्र. 106/2 रकबा 0.107 हेक्टेयर के अंश भाग रकबा 0.056 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का अवैध कब्जा है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2018/1059 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल-1 तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-11-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25-09-2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल-1 तहसील हुजूर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 07-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	